2011:CGHC:529

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6380/2007

याचिकाकर्ता **:** उदयराम कैवर्त

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश उद्घोषणा की तिथि: 11 जून, 2011

सही/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6380/2007

याचिकाकर्ता : उदयराम कैवर्त

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(रिट याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 227, भारत का संविधान)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:-

- **याचिकाकर्ता की ओर से:** श्री संजय के. अग्रवाल एवं श्री सौरभ शर्मा, अधिवक्ता।
- **राज्य की ओर से:** श्री वाई. एस. ठाकुर, उप-महाधिवक्ता एवं श्री अजय द्विवेदी, उप-शासकीय अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 17-06-2011 को उद्घोषित)

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने संचालक पंचायत, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 88/ए-89 (15)/06-07 में पारित आदेश दिनांक 27-09-2007 (अनुलग्नक-पी/13) की शुद्धता और वैधता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा कलेक्टर बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-02-2007 (अनुलग्नक-पी/7) और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-11-2006

(अनुलग्नक-पी/4) की पुष्टि की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को सरपंच के पद से हटा दिया गया है।

2. इस याचिका में निहित विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, सुसंगत समय पर, ग्राम पंचायत मल्हार के सरपंच के रूप में विधिवत निर्वाचित होने के पश्चात सरपंच का पद धारण कर रहा था। सरपंच के रूप में कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन में **अवचार** का आरोप लगाने वाली कुछ शिकायत पर, अनुविभागीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता के साथ-साथ ग्राम पंचायत के सचिव के विरुद्ध जाँच किए जाने का निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मस्तूरी को दिया। तत्पश्चात, एक **जाँच समिति** का गठन किया गया जिसमें तहसीलदार मस्तूरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मस्तूरी, उप-अभियंता जनपद पंचायत मस्तूरी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत मस्तूरी, पंच ग्राम पंचायत मल्हार और ग्राम मल्हार के एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। जाँच समिति ने शिकायतकर्ताओं के साथ-साथ ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को सूचना (नोटिस) जारी की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मस्तूरी द्वारा अपने पत्र दिनांक 25-09-2006 के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अनुविभागीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता और सचिव के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया और नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। दिनांक 10-10-2006 को याचिकाकर्ता उपस्थित हुआ और अपना जवाब प्रस्तुत किया। दिनांक 31-10-2006 की आदेश-पत्रक में यह अंकित किया गया कि अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सका। तत्पश्चात, दिनांक 07-11-2006 को अनुविभागीय अधिकारी ने **छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993** (संक्षेप में "1993 का अधिनियम") की **धारा 40** के तहत याचिकाकर्ता को सरपंच के पद से हटाने और साथ ही 7,21,586/- रुपये की वसूली का निर्देश देते हुए अंतिम आदेश पारित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. हटाए जाने के आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, जिसे आदेश दिनांक 12-02-2007 (अनुलग्नक-पी/7) के माध्यम से खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने संचालक, पंचायत के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर किया। दिनांक 01-03-2007 के आदेश द्वारा, संचालक, पंचायत ने एक अंतरिम आदेश पारित किया। इसके बाद, संचालक ने दिनांक 04-03-2007 को एक अन्य

आदेश पारित किया, जिसे रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2114/2007 में चुनौती दी गई थी। उक्त रिट याचिका को दिनांक 20-04-2007 (अनुलग्नक-पी/12) के आदेश द्वारा अंतिम रूप से निस्तारित किया गया, जिसमें 14-03-2007 के आदेश को अपास्त कर दिया गया और याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने तथा याचिकाकर्ता के आवेदन दिनांक 09-03-2007 और अपील पर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात, संचालक पंचायत अर्थात पुनरीक्षण प्राधिकारी ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए अंतिम आदेश पारित किया, जिसमें अपील में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित हटाए जाने के आदेश की पुष्टि की गई।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि हटाए जाने का आदेश विधिक रूप से कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, जबकि अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत ऐसा करना आज्ञापक है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जाँच का एक असावधानीपूर्ण तरीका अपनाया गया, जिसमें उन्होंने स्वयं विहित प्राधिकारी होने के नाते जाँच करने के बजाय, तहसीलदार की अध्यक्षता में एक जाँच समिति गठित करने का निर्देश दिया। उस समिति ने कुछ जाँच की और जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे हटाए जाने की आक्षेपित कार्यवाही का आधार बनाया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि जाँच प्रतिवेदन की प्रति भी याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता को उचित कारण बताओ सूचना जारी नहीं किया, जिसमें विशेष रूप से उन अवचार के आरोपों का उल्लेख हो जिनके आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित थी, बल्कि केवल उपस्थित होने का एक आदेश पारित किया गया था। याचिकाकर्ता ने जवाब के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया, किंतु उसके पश्चात कुछ भी नहीं हुआ। याचिकाकर्ता को न तो जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया और न ही गवाहों के कथन या वे महत्वपूर्ण दस्तावेज़/अभिलेख उपलब्ध कराए गए जो जाँच प्रतिवेदन का आधार थे। गवाहों का न ही परीक्षण किया गया और न ही याचिकाकर्ता को मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया। विवाद का मुख्य बिंदु यह रहा है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई जाँच कार्यवाही नहीं की गई थी, बल्कि किसी ऐसी जाँच, जिसकी प्रति याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं की गई थी, के आधार पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता को सरपंच के पद से हटा दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने जाँच का केवल दिखावा किया। उनका तर्क है कि दिनांक 26-09-2006 को प्रकरण दर्ज किया गया और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। तत्पश्चात, दिनांक 10-10-2006 को याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया और उसी दिन यह अभिलिखित किया गया कि मामले को दिनांक 31-10-2006 के लिए सूचीबद्ध किया जाए, जिस तिथि पर यह अभिलिखित किया गया कि अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सका और फिर = 07-11-2006 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया, जो यह दर्शाता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस मामले में कोई वास्तविक जाँच नहीं की गई थी।

अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित न्यायदृष्टांतों का अवलंब लिया: **तरलोचन देव शर्मा बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य**, (2001) 6 एस. सी.सी. 260; **शारदा कैलाश मित्तल बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य**, (2010) 2 एस.सी.सी. 319; **बनसमनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, 1980 म.प्र.एल.जे. 34; **राजा राजसिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, 2000 (1) म.प्र.एच.टी. 490; **सरिता माब्रे बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, 1998 (1) जे.एल.जे. 420; **कैलाश कुमार डांगी बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, 1992 जे.एल.जे. 280; **बल्लभ दास बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, 1998 (2) जे.एल.जे. 303; **दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम डी.टी.सी. मज़दूर कांग्रेस**, ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 101; **बबीता बनाम सुरेंद्र**, 2004 (1) म.प्र.एल.जे. 27; **फैज़ मोहम्मद बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, 2004 (4) म.प्र.एच.टी. 393 और **मांगो बाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, 2003 (2) म.प्र.एल.जे. 112।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि याचिकाकर्ता को गंभीर अनियमितताएँ बरतने का दोषी पाया गया था और उसने आक्षेपित आदेश में उल्लिखित प्रकृति का अवचार किया था। उन्होंने तर्क दिया कि शिकायत प्राप्त होने पर, अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के नेतृत्व में जाँच करने का निर्देश दिया था और छह व्यक्तियों की एक समिति ने ग्राम पंचायत के अभिलेखों का सूक्ष्म परीक्षण किया तथा याचिकाकर्ता को भी सुना, जिसे जाँच के दौरान सूचना दिया गया था। समिति ने तथ्यों के आधार पर यह पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा गंभीर अनियमितताएँ की गई थीं। उक्त प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया गया था, जिसके पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता को सूचना जारी कर सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया। उन्होंने आगे यह भी तर्क

किया कि याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति की पूर्ण जानकारी और सूचना थी, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात, अनुविभागीय अधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता के दोष के संबंध में तथ्यों का निष्कर्ष दर्ज किया। विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपील में जाँच प्रतिवेदन या जाँच के दौरान उसके विरुद्ध एकत्रित अन्य प्रतिकूल सामग्रियों की आपूर्ति न किए जाने के संबंध में विशेष रूप से कोई आधार नहीं उठाया था, लेकिन पुनरीक्षण प्रस्तुत करते समय प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से संबंधित कई आधार लिए गए, जिन्हें पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से खारिज कर दिया गया। उन्होंने आगे यह भी तर्क किया कि अधिनियम, 1993 की धारा 40 में निहित प्रावधानों के आलोक में केवल सुनवाई का उचित अवसर सुनिश्चित करना आवश्यक है, जो याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया था, क्योंकि वास्तव में जाँच प्रतिवेदन की प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई गई थी और याचिकाकर्ता के पास प्रत्येक आरोप का जवाब देने तथा उस सामग्री का खंडन करने का पूर्ण अवसर था, जिसके आधार पर जाँच समिति ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध पाया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. रिट याचिका के कण्डिका-3 में याचिकाकर्ता ने शपथ-पत्र पर विशेष रूप से यह उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता को न तो एकपक्षीय जाँच प्रतिवेदन की प्रति दी गई और न ही आरोपों का विवरण उपलब्ध कराया गया। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों के कण्डिका-6.2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विरोधी पक्षकार ने जो जाँच प्रतिवेदन द्वारा प्रस्तुत किया है और जिसका अवलंब ले रहा है, उस जाँच प्रतिवेदन की प्रति याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं की गई थी, और अनुविभागीय अधिकारी ने उसी प्रतिवेदन का अवलंब लेते हुए याचिकाकर्ता को हटाने का निर्देश दिया। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को जाँच प्रतिवेदन प्रदान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप गंभीर क्षति हुई है और याचिकाकर्ता को अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उप-धारा (1) के परंतुक के तहत आवश्यक उचित अवसर से वंचित कर दिया गया है। उत्तरवादी के उत्तर से, अभिलेख पर यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अनुविभागीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता और सचिव के विरुद्ध जाँच करने का निर्देश दिया था, जिसके अनुसरण में तहसीलदार मस्तूरी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया था। यह जाँच प्रतिवेदन की प्रति से स्पष्ट रूप से

परिलक्षित होता है, जिसे स्वयं उत्तरवादीयों ने अपने जवाबदावा के साथ अभिलेख पर रखा है। अतः, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध जाँच की गई थी और जाँच प्रतिवेदन छह सदस्यीय जाँच समिति द्वारा तैयार किया गया था। दिनांक 26-09-2006 की आदेश-पत्रिका (अनुलग्नक-पी/3) भी यह दर्शाती है कि अनुविभागीय अधिकारी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मस्तूरी के कार्यालय से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। अपने जवाबदावा में, यद्यपि उत्तरवादियों ने यह कहा है कि तहसीलदार द्वारा की गई जाँच में याचिकाकर्ता ने भी भाग लिया था, किंतु जवाबदावा में ऐसा कोई विशिष्ट कथन नहीं है कि जाँच प्रतिवेदन की प्रति याचिकाकर्ता को कभी उपलब्ध कराई गई थी या जाँच समिति अथवा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसका निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। उत्तर में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता को जाँच प्रतिवेदन, उसके साथ संलग्न दस्तावेजों और अभिलिखित किए गए बयानों का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। जवाबदावा के कण्डिका- 14 में, निम्नलिखित शब्दों में जवाब दिया गया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **"14. याचिका के कण्डिका- 6 (आधार) का जवाब :-** पूर्वगामी कण्डिका में किए गए अभिकथनों के आलोक में, वर्तमान याचिकाकर्ता के पास कोई आधार उपलब्ध नहीं है और इस कण्डिका में उठाए गए सभी आधारों को नजरअंदाज किया जाना उचित है तथा याचिका खारिज होने योग्य है।"

यह प्रत्यक्षतः स्पष्ट है कि उत्तरवादीयों) ने याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए उन विशिष्ट आरोपों का उत्तर देने से स्पष्ट रूप से परहेज किया है, जिनमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता को जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। दिनांक 26-09-2006, 10-10-2006, 31-10-2006 और 07-11-2006 की आदेश-पत्रिकाओं (सामूहिक रूप से अनुलग्नक-पी/3 के रूप में दाखिल) के अवलोकन से भी प्रतीत होता है कि, यह कहीं भी अभिलिखित नहीं किया गया है कि सुनवाई की किसी भी तिथि पर सूचना के साथ जाँच प्रतिवेदन की प्रति याचिकाकर्ता को कभी प्रदान की गई थी। जाँच प्रतिवेदन प्रदान नहीं किए जाने के संबंध में किसी विशिष्ट खंडन के अभाव में, तथा प्रतिवेदन प्रदान नहीं किए जाने के विषय में न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए उत्तरवादियों द्वारा अभिलेख पर कोई अन्य सामग्री प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में, इस न्यायालय को यह मानना होगा कि जाँच प्रतिवेदन, जो याचिकाकर्ता के विरुद्ध एकमात्र प्रतिकूल सामग्री थी, याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को गंभीर क्षति हुई है। अनुविभागीय

अधिकारी, कलेक्टर और साथ ही संचालक पंचायत द्वारा क्रमशः राजस्व प्रकरण, अपील और पुनरीक्षण कार्यवाहियों में पारित आदेशों के अवलोकन से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को अवचार का दोषी ठहराने के लिए जाँच प्रतिवेदन को ही आधार बनाया गया है और याचिकाकर्ता को सरपंच के पद से हटाने का आधार बनने वाली यह एकमात्र सामग्री है। अधिनियम, 1993 की धारा 40, अनुविभागीय अधिकारी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित सरपंच को हटाने की प्रचंड शक्तियाँ प्रदान करती है। अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उप-धारा (1) का परंतुक स्पष्ट रूप से अनुविभागीय अधिकारी को हटाए जाने की प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अवसर देने के लिए बाध्य करता है। जो अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है, वह एक वास्तविक अवसर होना चाहिए न कि केवल एक दिखावा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित सरपंच को हटाया जाना एक गंभीर विषय है। अतः, सरपंच को हटाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी को प्रदत्त प्रचंड शक्ति का प्रयोग विधि द्वारा स्थापित रीति और प्रक्रिया के पालन के अलावा किसी अन्य तरीके से करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कारण बताओ का अवसर प्रदान करने की अनिवार्यता का उद्देश्य 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' की पूर्ति करना है। कारण बताओ का अवसर देने की आवश्यकता में अनिवार्य रूप से आरोपों के विरुद्ध बचाव का अवसर शामिल है। इसका अर्थ यह है कि सरपंच के विरुद्ध लगाए गए अवचार के विशिष्ट आरोपों का उल्लेख सूचना में ही किया जाना आवश्यक है, ताकि सरपंच को यह सटीक जानकारी हो कि उसके विरुद्ध क्या आरोप हैं, जिनका उसे जवाब देना है। विशिष्ट आरोपों और दोषारोपण के अभाव में, केवल एक साधारण प्रपत्र में सूचना जारी करना—जिसमें मात्र किसी निश्चित तिथि पर उपस्थित होने की अपेक्षा की गई हो—न्यूनतम शब्दों में कहा जाए तो, यह शक्तियों के साथ एक 'छल' होगा। वर्तमान मामले में, नोटिस (अनुलग्नक-पी/1) के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को केवल एक साधारण राजस्व सूचना जारी किया गया था, जिसमें उसे एक विशेष तिथि पर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। इस सूचनास को किसी भी दृष्टिकोण से अवचार के विशिष्ट आरोपों/दोषारोपण के आधार पर पद से हटाने का प्रस्तावित सूचना नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार, प्रारंभ से ही, जाँच को एक दिखावे में बदल दिया गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि चूँकि याचिकाकर्ता ने तहसीलदार की अध्यक्षता में हुई जाँच में भाग लिया था, इसलिए उसे अपने विरुद्ध लगाए गए विभिन्न आरोपों की जानकारी थी,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिन पर वह अपना पक्ष रख सकता था। याचिकाकर्ता ने जवाब के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत भी किया था। हालाँकि, यह तथ्य अनुविभागीय अधिकारी को याचिकाकर्ता को जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराने के उसके उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करता है। जाँच प्रतिवेदन की प्रति स्वयं उत्तरवादियों द्वारा अपने जवाब के साथ अभिलेख पर रखी गई है। इस जाँच प्रतिवेदन में पंचायत के कुछ अभिलेखों के आधार पर विस्तृत चर्चा की गई है। यद्यपि, किसी भी पक्ष ने न्यायालय के समक्ष जाँच के पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए हैं, फिर भी जाँच प्रतिवेदन से यह परिलक्षित होता है कि कुछ मौखिक बयान भी दर्ज किए गए थे। अतः, जाँच प्रतिवेदन में न केवल जाँच के दौरान एकत्रित मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना और उन पर जाँच समिति के निष्कर्ष शामिल हैं, बल्कि वे सुसंगत दस्तावेज़ और मौखिक बयान भी शामिल हैं जो जाँच के दौरान दर्ज किए गए थे। ये सभी याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रतिकूल सामग्री थे। उसी आधार पर, अनुविभागीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत कार्यवाही शुरू की। यह तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता को राजस्व सूचना का एक रूढ़िबद्ध प्रोफ़ार्मा देने के अलावा कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं कराई। अतः, जाँच प्रतिवेदन, संबंधित दस्तावेज़ और मौखिक साक्ष्यों की प्रति उपलब्ध न कराना निश्चित रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है, जिसके परिणामस्वरूप हटाए जाने की कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अवसर देने के मामले में अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत निहित सांविधिक अधिदेश का उल्लंघन हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. जैसे ही याचिकाकर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया, अनुविभागीय अधिकारी ने हटाए जाने का आदेश पारित करने की कार्यवाही की। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन को केवल एक 'कारण बताओ सूचना' जारी करके पूर्ण जाँच शुरू करने के लिए एक 'प्रारंभिक जाँच' के रूप में माना गया हो। वर्तमान मामला ऐसा है, जहाँ किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई जाँच के 'तथ्य-खोज प्रतिवेदन' को ही, आगे कोई जाँच किए बिना, याचिकाकर्ता को अवचार का दोषी ठहराने का एकमात्र आधार बना लिया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने न तो याचिकाकर्ता को जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराई और न ही उन अभिलेखों को तलब किया, जिनके आधार पर जाँच प्रतिवेदन तैयार किया गया था। आदेश-पत्रिकाएँ यह नहीं दर्शातीं और न ही उत्तरवादियों का यह पक्ष है कि अनुविभागीय अधिकारी ने

शिकायतकर्ताओं या अन्य व्यक्तियों/पंचायत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बयान दर्ज किए थे। आदेश-पत्रिका यह भी नहीं दर्शाती कि याचिकाकर्ता से उसके विरुद्ध आरोपों का खंडन करने के लिए मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी ने केवल इतना किया कि तहसीलदार से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया, और उसके पश्चात अंतिम आदेश पारित कर दिया।

8. उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि याचिकाकर्ता ने अपील में जाँच प्रतिवेदन की प्रति न दिए जाने के संबंध में विशेष आधार नहीं उठाया था, इसलिए इसे इस न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जा सकता, इस न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है और इसे अमान्य किया जाना आवश्यक है; क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को समाहित करने वाले सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन का प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर रिट याचिका में पहली बार भी उठाया जा सकता है। इसके अलावा, मैं यह पाता हूँ कि याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से संबंधित विशिष्ट आधार लिए थे, लेकिन उन आधारों पर पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया। मैंने यह भी पाया है कि कलेक्टर और पुनरीक्षण प्राधिकारी ने यह दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता को जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराई गई थी। हालाँकि, उत्तरवादी इस बात का अभिवचन करने में विफल रहे हैं, और इसे सिद्ध करना तो दूर की बात है, कि जाँच प्रतिवेदन वास्तव में याचिकाकर्ता को दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत परिकल्पित जाँच, निश्चित रूप से अवचार के आरोपों की एक अर्ध-न्यायिक जाँच है। अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उप-धारा (1) का परंतुक यह सांविधिक अधिदेश निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे यह कारण बताने का अवसर न दिया गया हो कि उसे उसके पद से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। अतः, यह विधि की एक अंतर्निहित आवश्यकता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई है, उसे स्पष्ट शब्दों में उन आरोपों/अभिकथनों का उल्लेख करते हुए नोटिस दिया जाए, जिनके आधार पर उसे पद से हटाना प्रस्तावित है। जब तक उस व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं होगा कि उसके विरुद्ध क्या आरोप/अभिकथन हैं, वह उन आरोपों का बचाव करने की स्थिति में नहीं होगा। भले ही विधि यह निर्धारित नहीं करता है कि सूचना किस रीति से तैयार किए जाने चाहिए, फिर भी यह अनुविभागीय अधिकारी के लिए बाध्यकारी है कि वह सूचना में

अवचार के उन विशिष्ट आरोपों/अभिकथनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करे, जिनके आधार पर हटाया जाना प्रस्तावित है।

यदि अवचार के कुछ आरोपों पर आधारित हटाए जाने का प्रस्ताव किसी जाँच प्रतिवेदन पर आधारित है, तो अनुविभागीय अधिकारी के लिए यह बाध्यकारी है कि वह उस व्यक्ति को सूचना के साथ जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराए, जिसके विरुद्ध अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, बशर्ते कि अनुविभागीय अधिकारी उस जाँच प्रतिवेदन पर भरोसा करने का आशय रखता हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जाँच प्रतिवेदन उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल सामग्री माना जाता है, जो हटाए जाने के लिए अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत जाँच कार्यवाही का सामना कर रहा है। अतः, जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है, ताकि संबंधित व्यक्ति यह जान सके कि जाँच समिति द्वारा उसके विरुद्ध कौन-से मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और किसे उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष दर्ज करने का आधार बनाया गया है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, वह जाँच प्रतिवेदन में निहित प्रत्येक निष्कर्ष पर अपना जवाब प्रस्तुत करने के अवसर का भी हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यदि जाँच प्रतिवेदन कुछ मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है, तो यह आवश्यक है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की न्यूनतम आवश्यकता का पालन किया जाए। इसलिए, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उन प्रतिकूल सामग्रियों को भी जाँच का सामना कर रहे व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

यदि वह व्यक्ति, जो हटाए जाने के आरोपों का सामना कर रहा है, किसी गवाह का प्रतिपरीक्षण करने और उन अभिलेखों एवं बयानों का निरीक्षण करने का इरादा रखता है जो अभिलिखित किए गए हैं और जिन पर जाँच प्रतिवेदन में भरोसा किया गया है, तो वह उक्त गवाह के प्रतिपरीक्षण और निरीक्षण का हकदार है। इसके अतिरिक्त, यदि अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत हटाए जाने की जाँच कार्यवाही का सामना कर रहा व्यक्ति मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे इसका भी उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

10. उपरोक्त विवेचना और इस न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए इस विशिष्ट निष्कर्ष के आलोक में कि याचिकाकर्ता को न तो जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराई गई और न ही वे मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य जिन पर जाँच प्रतिवेदन आधारित है, यह निष्कर्ष दिया जाना

आवश्यक है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई के उचित अवसर से वंचित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप न केवल अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत अंतर्निहित सांविधिक अधिदेश का उल्लंघन हुआ है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन हुआ है। अतः, यह कार्यवाही अवैध है। याचिकाकर्ता को सरपंच के पद से हटाने का आदेश अवैध है और विधि की दृष्टि में इसे कायम नहीं रखा जा सकता, अतः, इसे अपास्त किया जाना आवश्यक है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-11-2006 (अनुलग्नक-पी/4), कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-02-2007 (अनुलग्नक-पी/7) और संचालक पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-09-2007 (अनुलग्नक-पी/13) को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह इस न्यायालय द्वारा ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में याचिकाकर्ता को सुनवाई का सम्यक और उचित अवसर प्रदान करते हुए उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सकता है।

11. पूर्वगामी तथ्यों के आलोक में, याचिका स्वीकार की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Vinay Awasthi, Advocate